पंजीकृत संख्या 73 / श्रीगंगानगर / 2004-05

डॉ. अम्बेडकर अनु. जाति एवं जनजाति कल्याण समिति

एस.टी.पी.एस., सूरतगढ़

एस.टी.पी.एस. कॉलोनी, सूरतगढ़ 335805 (राज.)

क्रमांक 16/2026 दिनांक 20/07/2026

सेवा में,

माननीय श्री अर्जुन राम मेघवाल जी,

केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री,

भारत सरकार, नई दिल्ली।

विषय: राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के विभिन्न पावर प्लांटो में वर्ष 1993-94, 1997-98, 2002-03 एवं 2005-06 में भर्ती हुए तकनीकी कर्मचारियों के तीन वर्ष के प्रशिक्षण काल को नियमित सेवा (Qualifying Service) में जोड़ने बाबत।

महोदय जी,

सविनय निवेदन है कि राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में वर्ष 1993-94, 1997-98, 2002-03 एवं 2005-06 में भर्ती हुए तकनीकी कर्मचारियों के साथ लंबे समय से एक गंभीर प्रशासनिक अन्याय होता चला आ रहा है।

नियुक्ति के पश्चात इन कर्मचारियों को "आईटीआई ट्रेनी" पद के रूप में तीन वर्ष का प्रशिक्षण काल अनिवार्य रूप से पूरा करना पड़ा। इस संपूर्ण अवधि में निगम द्वारा उनसे नियमित कर्मचारियों के समान पूर्णकालिक तकनीकी कार्य लिया गया तथा सभी दायित्वों एवं उत्तरदायित्वों का निर्वहन कराया गया। स्पष्टतः, इन कर्मचारियों से कार्य तो नियमित कर्मचारियों के समान लिया गया, किन्तु विडम्बना यह है कि सेवा लाभों के निर्धारण के समय उक्त तीन वर्षीय प्रशिक्षण अवधि को आज तक उनकी नियमित सेवा (Qualifying Service) में सम्मिलित नहीं किया गया है।

इसके परिणामस्वरूप इन कर्मचारियों की वरिष्ठता, वेतन निर्धारण, वार्षिक वेतनवृद्धि (Increment), चयन वेतनमान, पदोन्नति, पेंशन लाभ गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं।

प्रशिक्षण काल की वास्तविक स्थिति :-

प्रभावित तकनीकी कर्मचारी नियुक्ति से पूर्व ही औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) से दो वर्षीय तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके थे। इसके बावजूद निगमों द्वारा नियुक्ति के पश्चात पुनः तीन वर्ष का प्रशिक्षण काल निर्धारित किया गया।

इस प्रशिक्षण काल अवधि में -

1. कार्य का स्वरूप पूर्णतः नियमित (Nature of Work as Regular Service)

प्रशिक्षण अवधि में इन कर्मचारियों से फील्ड एवं प्लांट स्तर पर वही तकनीकी कार्य एवं दायित्व निर्वहन कराए गए, जो नियमित कर्मचारियों को सौंपे जाते हैं, जिससे कार्य का स्वरूप पूर्णतः नियमित सिद्ध होता है।

पेज न. 1- 9

पंजीकृत संख्या 73 / श्रीगंगानगर / 2004-05

डॉ. अम्बेडकर अनु. जाति एवं जनजाति कल्याण समिति

एम.टी.पी.एम., सूरतगढ़

एस.टी.पी.एस. कॉलोनी, सूरतगढ़ 335805 (राज.)

क्रमांक 16/2026 दिनांक 20/07/2026

2. उत्पादन कार्य एवं प्रोत्साहन भुगतान (Productive Work and Incentives)

इनसे उत्पादन संबंधी कार्य लिया गया तथा मासिक परिवर्तनीय उत्पादन प्रोत्साहन (Generation Incentive) दिया गया, जो यह प्रमाणित करता है कि कार्य केवल प्रशिक्षणात्मक न होकर उत्पादक एवं सेवा स्वरूप था।

3. पूर्ण विभागीय नियंत्रण (Departmental Control and Discipline)

ये सभी पूर्णतः विभागीय नियंत्रण, अनुशासन, उपस्थिति एवं कार्य आवंटन के अधीन रहे, जिससे विधिवत नियोक्ता-कर्मचारी संबंध स्थापित होता है।

4. विधिवत चयन प्रक्रिया (Regular Selection Process)

इनका चयन विधिवत भर्ती प्रक्रिया (विधिवत साक्षात्कार प्रक्रिया) के माध्यम से किया गया तथा तत्पश्चात प्रशिक्षण दिया गया, अतः प्रशिक्षण नियुक्ति का अभिन्न अंग था।

5. प्रशिक्षण नियुक्ति की पूर्व शर्त (Training as Pre-condition of Appointment)

इनके नियुक्ति पत्र में 3 वर्ष का प्रशिक्षण केवल नियमित नियुक्ति की पूर्व शर्त था, अलग सेवा नहीं।

6. "Temporary/Adhoc" शब्द की औपचारिकता (Formal Nature of Temporary/Adhoc Tag)

इनके नियुक्ति पत्र में "Temporary/Adhoc" शब्द केवल औपचारिक है, वास्तविकता में कार्य स्थायी प्रकृति का था।

7. बिना नई चयन प्रक्रिया के नियमित नियुक्ति (Direct Absorption without Fresh Selection)

तीन वर्ष की प्रशिक्षण अवधि पूर्ण होने पर बिना किसी नई चयन प्रक्रिया के सीधे "तकनीशियन ग्रेड-II/ तकनीशियन ग्रेड-III" के पद पर इनकी नियुक्ति की गई, जिससे सिद्ध है कि सेवा निरंतर थी और बीच में कोई ब्रेक नहीं था।

8. सेवा में निरंतरता (Continuity of Service)

प्रशिक्षण अवधि के दौरान सेवा में कोई अवरोध (break) नहीं रहा तथा संतोषजनक कार्य के आधार पर अवधि का विस्तार किया गया, जो निरंतर सेवा को दर्शाता है।

9. कार्य के बदले भुगतान (Work Against Wages Principle)

इनको वजीफा (stipend) के साथ कार्य आधारित प्रोत्साहन दिया गया, जो "Work against Wages" के सिद्धांत को स्थापित करता है।

पंजीकृत संख्या 73 / श्रीगंगानगर / 2004-05

डॉ. अम्बेडकर अनु. जाति एवं जनजाति कल्याण समिति
एम.टी.पी.एस., सूरतगढ़
एस.टी.पी.एस. कॉलोनी, सूरतगढ़ 335805 (राज.)

क्रमांक 16/2026 दिनांक 20/07/2026

10. CPF कटौती एवं नियोक्ता अंशदान (CPF Deduction and Employer Contribution)

इनको दिए जाने वाले स्टाइपेंड से नियमित रूप से CPF कटौती की गई तथा नियोक्ता का अंशदान भी जमा किया गया, जो कर्मचारी की विधिक स्थिति को प्रमाणित करता है।

11. CPF अकाउंट की निरंतरता से सेवा की सततता सिद्ध होना

"आईटीआई ट्रेनी पद के रूप में प्रशिक्षण अवधि में प्रदत्त CPF (Contributory Provident Fund) खाता संख्या का नियमित सेवा में निरंतर उपयोग यह स्पष्ट प्रमाणित करता है कि आवेदक की सेवा में कोई अवरोध (break in service) नहीं था तथा नियोक्ता द्वारा प्रशिक्षण एवं नियमित सेवा को एक ही सतत (continuous) सेवा के रूप में स्वीकार किया गया। फलस्वरूप उक्त प्रशिक्षण अवधि को सेवा लाभों (जैसे वरिष्ठता, पेंशन एवं पदोन्नति) से वंचित करना विधि विरुद्ध, मनमाना एवं संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 16 के प्रतिकूल है।"

12. वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (ACR) (Annual Confidential Reports)

प्रशिक्षण अवधि में इनकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (ACR) तैयार की गई, जो केवल नियमित कर्मचारियों पर लागू होती है।

13. सेवा सुविधाएँ (Service Benefits and Facilities)

इनको निःशुल्क आवास/HRA, आकस्मिक अवकाश (Casual Leave) एवं निःशुल्क परिवहन जैसी सुविधाएँ प्रदान की गई।

14. मास्टर-सर्वेंट संबंध (Master-Servant Relationship) / सेवा समाप्ति का प्रावधान

प्रशिक्षण अवधि के दौरान असंतोषजनक कार्य-निष्पादन की स्थिति में बिना नोटिस / मुआवजे के सेवा समाप्ति का प्रावधान "master-servant relationship" को सिद्ध करता है।

15. स्टाइपेंड में वार्षिक वृद्धि (Annual Increase in Stipend)

प्रशिक्षण अवधि के दौरान स्टाइपेंड में प्रत्येक वर्ष क्रमिक वृद्धि की गई, जो नियमित वेतन वृद्धि (Increment) के समान संरचना को दर्शाता है तथा यह सिद्ध करता है कि भुगतान केवल प्रशिक्षण हेतु नहीं बल्कि सेवा के प्रतिफल के रूप में किया जा रहा था।

16. विशेष उत्पादकता पुरस्कार (Special Productivity Award)

नियमित कर्मचारियों के समान ही इन्हें विशेष उत्पादकता पुरस्कार (Special Productivity Award) दिया गया, जो इनके कार्य को नियमित सेवा के समान मानने का प्रत्यक्ष प्रमाण है।

17. मेडिकल फिटनेस की अनिवार्यता (Mandatory Medical Fitness)

प्रशिक्षण पद पर नियुक्ति के समय उच्च स्तरीय मेडिकल फिटनेस अनिवार्य थी, जो नियमित सरकारी सेवा में प्रवेश के समान है।

डॉ. अम्बेडकर अनु. जाति एवं जनजाति कल्याण समिति
एस.टी.पी.एस., सूरतगढ़
एस.टी.पी.एस. कॉलोनी, सूरतगढ़ 335805 (राज.)

क्रमांक 16/2026 दिनांक 20/07/2026

18. न्यायिक सिद्धांत - Substance over Form (Legal Principle)

न्यायिक सिद्धांत (Substance over Form) के अनुसार, जहाँ कर्मचारी से नियमित कार्य लिया जाता है, सेवा निरंतर रहती है एवं अंततः उसी पद पर समायोजन होता है, वहाँ प्रारंभिक अवधि को भी सेवा में गिना जाना चाहिए।

19. न्यायालयों द्वारा स्थापित विधिक सिद्धांत (Judicial Precedents)

माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों द्वारा स्थापित विधिक सिद्धांतों के अनुसार, जहाँ नियुक्ति विधिसम्मत हो, कार्य निरंतर लिया गया हो एवं बाद में सेवा को नियमित किया गया हो, वहाँ प्रशिक्षण / अधिस्थायी सेवा को नियमित सेवा से पृथक नहीं किया जा सकता, बल्कि उसे प्रथम नियुक्ति दिनांक से ही गणना में लिया जाना अनिवार्य है।

अतः यह स्पष्ट है कि यह प्रशिक्षण किसी तरह से पृथक "पूर्णतः अस्थायी एवं तदर्थ सेवा (Purely Temporary and Ad hoc Service)" न होकर वास्तविक नियमित सेवा का ही अभिन्न अंग था।

भर्ती वर्षों के आधार पर असमानता :-

राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम में वर्ष 1993-94, 1997-98, 2002-03 एवं 2005-06 में भी सैकड़ों तकनीकी कर्मचारी नियुक्त किए गए।

इन सभी कर्मचारियों के लिए तीन वर्ष का प्रशिक्षण काल लागू किया गया, किंतु इसे नियमित सेवा में शामिल नहीं किया गया।

वहीं दूसरी ओर वर्ष 2006 के बाद की भर्तियों में :-

तीन वर्ष का प्रशिक्षण काल समाप्त कर दिया गया, केवल दो वर्ष का प्रोबेशन काल रखा गया, नियमित वेतनमान प्रदान किया गया तथा नियमित सेवा नियुक्ति दिनांक से ही मानी गई है। समान योग्यता, समान कार्य एवं समान दायित्व होने के बावजूद केवल भर्ती वर्ष के आधार पर अलग-अलग सेवा शर्तें लागू करना संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 16 में निहित समानता के सिद्धांत के विपरीत है।

भर्ती विज्ञापन / साक्षात्कार पत्र में प्रशिक्षण अवधि को नियमित सेवा में शामिल नहीं करने का उल्लेख नहीं :-

प्रभावित कर्मचारियों के अनुसार वर्ष 1993-94, 1997-98, 2002-03 व 2005-06 की भर्ती विज्ञप्ति / साक्षात्कार पत्र में कहीं भी यह उल्लेख नहीं किया गया था कि तीन वर्ष के प्रशिक्षण काल को नियमित सेवा में शामिल नहीं किया जाएगा। हालांकि बाद में जारी नियुक्ति आदेशों में "Purely Temporary and Adhoc" शब्द जोड़े गए। न्यायशास्त्र के स्थापित सिद्धांतों के अनुसार भर्ती विज्ञापन की शर्तें ही चयन प्रक्रिया का आधार होती है, और चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रतिकूल शर्तें जोड़ना न्यायसंगत नहीं माना जाता।

अतः प्रशिक्षण अवधि को नियमित सेवा से बाहर रखना विधिसम्मत नहीं है।

डॉ. अम्बेडकर अनु. जाति एवं जनजाति कल्याण समिति
एस.टी.पी.एस., सूरतगढ़
एस.टी.पी.एस. कॉलोनी, सूरतगढ़ 335805 (राज.)

क्रमांक 16/2026 दिनांक 20/07/2026

न्यायालयों द्वारा स्थापित सिद्धांत (Strictly Court-Based & Legally Safe Version)

1. Madras High Court (2024)

मद्रास उच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया कि वरिष्ठता का निर्धारण संबंधित सेवा नियमों (service rules) के अनुसार किया जाना चाहिए। जहाँ नियुक्ति विधिसम्मत हो तथा सेवा निरंतर रही हो, वहाँ न्यायालयों ने यह माना है कि प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, यदि नियमों में ऐसा करने का कोई स्पष्ट निषेध नहीं है।

2. Punjab & Haryana High Court (IPS/DSP Seniority Cases)

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने यह स्थापित किया कि वरिष्ठता का निर्धारण पूर्णतः संबंधित सेवा नियमों द्वारा नियंत्रित होता है। जहाँ नियमों में यह प्रावधान है कि अधिकारी की पुष्टि (confirmation) प्रशिक्षण पूर्ण होने के पश्चात होगी, वहाँ वरिष्ठता का निर्धारण प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद से किया जाना विधिसंगत है।

3. M. Thanigivelu & Ors. vs Tamil Nadu Electricity Board (2026) Supreme Court

इस संबंध में न्यायिक दृष्टिकोण यह स्थापित है कि किसी अवधि को सेवा में गिना जाएगा या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि कर्मचारी की नियुक्ति की प्रकृति क्या थी, क्या वह नियमित पद के विरुद्ध थी, तथा क्या उसने उस अवधि में निरंतर सेवा प्रदान की। केवल "trainee" या "stipend" शब्द का प्रयोग अपने आप में निर्णायक नहीं है; तथ्यों एवं सेवा नियमों के आधार पर ही निर्णय लिया जाएगा।

4. Prem Singh vs State of Uttar Pradesh (2019) 8 SCC 671 Supreme Court

सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि work-charged/contingency paid कर्मचारियों द्वारा दी गई सेवा को पूरी तरह से बाहर नहीं किया जा सकता और उसे पेंशन के उद्देश्य से योग्य सेवा (qualifying service) के रूप में गिना जा सकता है, परिस्थितियों एवं नियमों के अधीन।

5. Direct Recruit Class II Engineering Officers' Association vs State of Maharashtra (1990) 2 SCC 715 - Supreme Court

सर्वोच्च न्यायालय ने यह सिद्धांत स्थापित किया कि यदि नियुक्ति प्रारंभ से ही नियमों के अनुसार (according to rules) की गई हो, तो वरिष्ठता प्रारंभिक नियुक्ति तिथि से गिनी जाएगी। परंतु यदि नियुक्ति नियमों के विरुद्ध (not according to rules) थी, तो ऐसी सेवा को सामान्यतः वरिष्ठता के लिए नहीं गिना जाएगा, जब तक कि बाद में नियमितीकरण न हो और परिस्थितियाँ उसे उचित ठहराएँ।

co/2

डॉ. अम्बेडकर अनु. जाति एवं जनजाति कल्याण समिति
एस.टी.पी.एस., सूरतगढ़
एस.टी.पी.एस. कॉलोनी, सूरतगढ़ 335805 (राज.)

क्रमांक 16/2026 दिनांक 20/07/2026

6. S.B. Civil Writ Petition No. 312/2026 (Jodhpur) Rajasthan High Court

राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह सिद्धांत अपनाया कि सेवा लाभों का निर्धारण करते समय वास्तविक तथ्यों, सेवा की निरंतरता तथा लागू नियमों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, और निर्णय केवल तकनीकी आधारों पर नहीं होना चाहिए, यदि तथ्यों से भिन्न स्थिति परिलक्षित होती हो।

7. S.B. Civil Writ Petition No. 6620/2003 Rajasthan High Court (Jaipur Bench)

राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह माना कि दीर्घकालीन सेवा के मामलों में न्यायालय यह देखता है कि नियुक्ति की प्रकृति क्या थी, सेवा कितनी अवधि तक दी गई, और क्या नियमों के अंतर्गत उस सेवा को मान्यता दी जा सकती है। प्रत्येक मामला अपने तथ्यों और लागू नियमों के आधार पर तय किया जाएगा।

8. State of U.P. & Ors. vs Anil Kumar Allahabad High Court (Lucknow Bench)

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि यदि किसी कर्मचारी की नियुक्ति अवैध (illegal) नहीं है और उसने ad hoc आधार पर सेवा दी है, तो उस सेवा की गणना पदोन्नति (promotion) के लिए की जा सकती है, यदि संबंधित नियमों एवं तथ्यों के आधार पर वह सेवा मान्य हो। न्यायालय ने यह भी माना कि ऐसे मामलों में ad hoc सेवा को स्वतः ही नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, बल्कि नियमों एवं सेवा की प्रकृति के अनुसार उसका मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है।

उपरोक्त तथ्यों एवं न्यायालयों द्वारा स्थापित सिद्धांतों के आधार पर आपसे विनम्र निवेदन है कि :-

1. राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम में वर्ष 1993-94, 1997-98, 2002-03 एवं 2005-06 में भर्ती हुए सभी तकनीकी कर्मचारियों के तीन वर्ष के प्रशिक्षण काल को नियमित सेवा (Qualifying Service) में सम्मिलित किया जाए।

2. उक्त अवधि को जोड़ते हुए कर्मचारियों की वरिष्ठता, वेतन निर्धारण, इन्क्रीमेंट, चयन वेतनमान, पदोन्नति एवं पेंशन लाभ पुनः निर्धारित किए जाएं।

3. इस संबंध में समस्त विद्युत निगमों के लिए समान नीति (Uniform Policy) जारी की जाए।

4. सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी इस निर्णय का पूर्ववर्ती लाभ प्रदान किया जाए।

पेज न. 6- 9

पंजीकृत संख्या 73 / श्रीगंगानगर / 2004-05

डॉ. अम्बेडकर अनु. जाति एवं जनजाति कल्याण समिति

एस.टी.पी.एस., सूरतगढ़
एस.टी.पी.एस. कॉलोनी, सूरतगढ़ 335805 (राज.)

क्रमांक: 16/2026 दिनांक: 20/07/2026

महोदय जी,

उपरोक्त समस्या के समाधान हेतु पूर्व में भी राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (RVUNL) में कार्यरत तकनीकी कर्मचारियों के विभिन्न संगठनों एवं समिति द्वारा अनेक बार निगम प्रशासन को ज्ञापन प्रस्तुत किए जा चुके हैं। किन्तु आज दिनांक तक इस संबंध में कोई ठोस एवं सकारात्मक कार्यवाही नहीं की गई है। परिणामस्वरूप यह न्यायोचित एवं महत्वपूर्ण मांग वर्षों से लंबित बनी हुई है, जिससे प्रभावित तकनीकी कर्मचारियों में निराशा एवं असंतोष व्याप्त है।

अतः उपरोक्त समस्या से प्रभावित RVUNL के समस्त तकनीकी कर्मचारियों एवं समिति की ओर से आपसे सादर एवं विनम्र निवेदन है कि न्याय, समानता तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को दृष्टिगत रखते हुए आईटीआई ट्रेनी के रूप में पूर्ण किए गए तीन वर्षीय प्रशिक्षण काल को नियमित सेवा (Qualifying Service) में सम्मिलित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करवाने की कृपा करें। इससे प्रभावित कर्मचारियों को उनके वैधानिक सेवा लाभ प्राप्त हो सकेंगे तथा लंबे समय से लंबित इस समस्या का न्यायोचित समाधान हो सकेगा।

आशा है कि कर्मचारियों के हित एवं न्यायोचित मांग को ध्यान में रखते हुए इस विषय में शीघ्र सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा।

सधन्यवाद।

अध्यक्ष
डॉ. अम्बेडकर अनु. जाति एवं
जन जाति कल्याण समिति
एस.टी.पी.एस., सूरतगढ़ (राज.)

भवदीय,

बलीराम मेघवाल

अध्यक्ष

मो.न.:- 8696180004

डॉ. अम्बेडकर अनु. जाति एवं जनजाति कल्याण समिति एस.टी.पी.एस., सूरतगढ़ (राज.)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. माननीया उपमुख्यमंत्री (वित्त) महोदया, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. माननीय सांसद महोदय, लोकसभा, श्रीगंगानगर संसदीय क्षेत्र, राजस्थान।
5. माननीय विधायक महोदय, सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र, राजस्थान।

पेज न. 7- 9

डॉ. अम्बेडकर अनु. जाति एवं जनजाति कल्याण समिति

एस.टी.पी.एम., सूरतगढ़

एस.टी.पी.एस. कॉलोनी, सूरतगढ़ 335805 (राज.)

क्रमांक 16/2026 दिनांक 20/07/2026

6. श्रीमान मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।

7. श्रीमान प्रमुख शासन सचिव महोदय, ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।

8. श्रीमान प्रमुख शासन सचिव महोदय, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।

9. श्रीमान प्रमुख शासन सचिव महोदय, कार्मिक (DOP) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।

10. माननीय लोकायुक्त महोदय, राजस्थान, जयपुर।

11. माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, जयपुर।

12. श्रीमान मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) महोदय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

13. श्रीमान आयुक्त महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।

14. श्रीमान श्रम आयुक्त महोदय, राजस्थान, जयपुर।

15. श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, श्रीगंगानगर।

16. श्रीमान अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (RVUNL), जयपुर।

17. श्रीमान निदेशक (वित्त) महोदय, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (RVUNL), जयपुर।

18. श्रीमान निदेशक (तकनीकी) महोदय, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (RVUNL), जयपुर।

19. श्रीमान निदेशक (परियोजना) महोदय, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (RVUNL), जयपुर।

20. श्रीमान कम्पनी सचिव महोदय, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (RVUNL), जयपुर।

क्रमांक 16/2026 दिनांक 20/07/2026

21. श्रीमान मुख्य कार्मिक अधिकारी महोदय, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (RVUNL), जयपुर।

22. श्रीमान मुख्य अभियंता महोदय, STPS (O&M), सूरतगढ़ / STPS-SC, सूरतगढ़ / CTPP (O&M), छबड़ा / CTPP-SC, छबड़ा / KTPS, कोटा / KaTPP, झालावाड़ / RGTPP, रामगढ़ / GLTPP, बाड़मेर / DCCPP, धौलपुर।

23. श्रीमान प्रदेश अध्यक्ष/महामंत्री, राजस्थान विद्युत श्रमिक महासंघ (BMS), जयपुर।

24. श्रीमान प्रदेश अध्यक्ष/महामंत्री, राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन (RVTKA), जयपुर।

25. श्रीमान प्रदेश अध्यक्ष/महामंत्री, राजस्थान बिजली वर्कर्स फेडरेशन (AITUC), जयपुर।

26. श्रीमान प्रदेश अध्यक्ष/महामंत्री, विद्युत कर्मचारी फेडरेशन (INTUC), जयपुर।

27. श्रीमान प्रदेश अध्यक्ष/महामंत्री, ऑल राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज फेडरेशन (INTUC), जयपुर।

28. श्रीमान प्रदेश अध्यक्ष/महामंत्री, PVMMF (INTUC), जयपुर।

29. श्रीमान प्रदेश अध्यक्ष/महामंत्री, राजस्थान विद्युत कामगार एकता फेडरेशन (CITU), जयपुर।

30. श्रीमान प्रदेश अध्यक्ष/महामंत्री, इंटर डिस्कॉम संयुक्त संघर्ष समिति, राजस्थान।

31. श्रीमान संयोजक महोदय, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड अभियंता-कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति।

32. प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं प्रकाशनार्थ प्रेषित : समस्त प्रमुख समाचार पत्रों के संपादक महोदय।